

काङ्गा सं० 1/20012/1/99-रा०भा० (नी-1), दिनांक 28.2.1999

**विषय:** संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांचवे खण्ड के कि गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

राजभाषा विभाग के दिनांक 24 नवम्बर 1998 के संकल्प संख्या 1/20012/4/92-रा०भा० (नी-1) का कृपया अवलोकन करें जिसके द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पांचवे खंड, जो कि विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों और न्याय विकरणों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, में की गई संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया था (प्रति संलग्न)।

2. उपरोक्त संकल्प में संस्तुति संख्या 3, 5 और 18 पर सभी मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि इस संस्तुति पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार यथोचित कार्रवाई शीघ्र करवा दी गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को तीन माह के अंदर अवगत कराया जाए।

3. कृपया पावती भेजें।